संख्या-190/2018/56/22-2-2018-17(122)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2018**

विषय:- जिला कारागार, मुक्तसर साहिब (पंजाब) में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसवन्त सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी जनपद-मेरठ वर्तमान पता जिला-मुक्तसर साहिब (पंजाब) की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3 (एम-21-12-2017) दिनांक-29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 29-12-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी जसवन्त सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी-ग्राम-भगवानपुर खादर, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ हाल पता-फतेहपुर मनियांवाला, मुक्तसर साहिब(पंजाब) का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14-08-1999 को अपरान्ह् 02:30 बजे बन्दूक एवं तमंचे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-5, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 1829/2001 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2017 तक 15 वर्ष 07 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है तथा 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, मुक्तसर साहिब (पंजाब) द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14-08-1999 को बन्दूक एवं तमंचे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि पक्षों के मध्य वर्तमान में विवाद बना है की पुष्टि जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जसवन्त सिंह पुत्र श्री वचन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जसवन्त सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी जनपद-मेरठ वर्तमान पते का जिला-मुक्तसर साहिब (पंजाब) के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-190/2018/56(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/ मुक्तसर साहिब(पंजाब) ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुक्तसर साहिब (पंजाब)।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-190/2018/56@22-2-2018-17(162)/2005

दिनांक 26 फरवरी, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मुक्तसर साहिब (पंजाब) में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसवन्त सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी-ग्राम-भगवानपुर खादर, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ हाल पता-फतेहपुर मनियांवाला, मुक्तसर साहिब(पंजाब) का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14-08-1999 को अपरान्ह् 02:30 बजे बन्दूक एवं तमंचे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-5, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 1829/2001 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2017 तक 15 वर्ष 07 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है तथा 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, मुक्तसर साहिब (पंजाब) द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14-08-1999 को बन्दूक एवं तमंचे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि पक्षों के मध्य वर्तमान में विवाद बना है की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जसवन्त सिंह पुत्र श्री बचन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in